

राजस्थान सरकार
पंत कृषि भवन सामुहिक सुविधा विकास समिति,
कमरा सं० 147, जयपुर।

प.2 () के.टे./समारोह/2021-22 465-468

दिनांक:- 9-12-21

मैसर्स.....

विषय:- वर्ष 2022 में गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस आदि समारोह पर पंत कृषि भवन में टेन्ट सामग्री एवं लाइट डेकोरेशन हेतु विद्युत सामग्री किराये पर उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

पंत कृषि भवन में गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस (वर्ष 2022) आदि समारोह पर टेन्ट सामग्री एवं लाइट डेकोरेशन हेतु विद्युत सामग्री किराये पर उपलब्ध करवाने के लिये निम्न विवरणानुसार बोलियां सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक कमरा संख्या 147 में आमंत्रित की जाती है। दिनांक 17.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में, पूर्ण रूप से भरी हुयी बोलियां ही स्वीकार की जावेंगी। अधूरी अथवा देरी से प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	इकाई	दर/दिन	कुल राशि
Part A(टेन्ट सामग्री)				
1	कुर्सिया प्लास्टिक	प्रति नग		
2	टेंट मय पर्दों/वाटर प्रूफ टैन्ट 18X36	प्रति वर्ग फुट		
3	कनात 9 फीट लम्बी	प्रति रनिंग फुट		
4	दरी 10X8 फीट	प्रति नग		
5	मेटिंग	प्रति नग		
6	मेज पोश	प्रति नग		
7	पानी की टंकी	प्रति नग		
8	गलीचा कार्पेट	प्रति नग		
9	स्टेज	प्रति नग फुट		
Part B(विद्युत सामग्री)				
1	निवार पट्टी 30 फीट लम्बी 6.2 वो. मिनिएचर बल्ब सहित-	प्रति नग/दिन		
2	मेटल लाइट (400 वॉट) पोल सहित-	प्रति नग/दिन		
3	बल्ब 25/40 वॉट बोर्डर पट्टा एवं होल्डर सहित	प्रति नग/दिन		
4	बल्ब 25 वॉट होल्डर सहित	प्रति नग/दिन		
5	राइस झालर 30 फीट लम्बी	प्रति नग/दिन		
6	मेन लाइन (वायर आदि)-आवश्यकतानुसार	प्रति नग/दिन		

उक्त सामग्री पर नियमानुसार GST का भुगतान अलग से देय होगा।

बोलीयां उसी दिन दिनांक 17.12.2021 को सायं 3:30 बजे कमरा सं. 147 में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जावेंगी। दरें एक कलेन्डर (वर्ष 2022) वर्ष के लिये मान्य होगी। बोलियों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा।

बोली की शर्तें :-

1. बोली के साथ फर्म को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। यदि फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है तो उसे अपने लेटर हेड पर इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
2. टैन्ट सामग्री, पंत कृषि भवन में निर्देशानुसार समारोह के एक दिवस पूर्व सायं 6.00 बजे तक आवश्यक रूप से स्थापित करनी होगी तथा समारोह समाप्त के पश्चात अपने स्तर पर ही वापस ले जानी होगी। सामग्री लाने, ले जाने का किराया, दरों में सम्मिलित माना जावेगा, पृथक से देय नहीं होगा।
3. विद्युत सामग्री, पंत कृषि भवन में निर्देशानुसार समारोह के एक दिवस पूर्व सायं 6.00 बजे तक आवश्यक रूप से स्थापित करनी होगी। उक्तानुसार उद्धरित दरें प्रथम दिवस के लिये 100% एवं द्वितीय दिवस के लिये 50% रहेंगी। तथा उत्तरोत्तर दिवस के लिये 50% रहेंगी।
4. टैन्ट सामग्री तथा विद्युत सामग्री के लिये कार्यालय आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। कार्यादेश में वर्णित सामग्री की उपलब्धता संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करनी होगी।
5. यदि लाईटें निर्धारित अवधि में बंद पायी गयीं तो उनका भुगतान देय नहीं होगा एवं जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी। सामग्री की देखभाल स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
6. सामग्री अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिये तथा कटी-फटी या पुरानी नहीं होनी चाहिये अन्यथा उनका भुगतान देय नहीं होगा एवं जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त RTPP अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

(रमन नेपालिया)

सहायक अभि०(अनुरक्षण)

दिनांक:- 9-12-21

प.2 () के.टे./समारोह/2021-22 465-68

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 ए०सी०पी० कृषि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(रमन नेपालिया)

सहायक अभि०(अनुरक्षण)

Address:- Room No 147, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur.

Departmental Website:- agriculture.rajasthan.gov.in. Email:- caretaker.agr.agri@rajasthan.gov.in